संख्या-155/2025//001-1161-23-12-2025-1951353

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में स्वीकृत मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-331नि0/129-01नि0/2025-26, दिनांक 24.06.2025 एवं पत्रांक-273नि0/129-01नि0/खीरी/भा0-1/2025-26, दिनांक 26.06.2025 तथा अवर सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-CE-RO/LKO/UP/CRIF/ 2022-23(comp.No-220514) दिनांक 22.09.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग (प्र0जि0मा0-86) चैनेज 0.000 से 20.000 तक 02 लेन विथ पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु रू0 8994.81 लाख (रूपये नवासी करोड़ चौरानबे लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अग्रतालिका के कालम-06 में अंकित विवरण के अनुसार उक्त कार्य हेतु रू0 2892.00 लाख (रूपये अट्ठाइस करोड़ बानबे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	ई0एफ0सी0 द्वारा अनुमोदित/ स्वीकृत लागत (लाख में)	प्रस्तावित आवंटन (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	प्रा0ख0/ लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग (प्र0जि0मा0-86) चैनेज 0.000 से 20.000 तक 02 लेने विथ पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	20.000	8994.81	**2892.00**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधनों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(11) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट)के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रशासकीय विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु विस्तृत आगणन के आधार पर विद्युत लाइन हेतु रू0 218.34 लाख, जल निगम हेतु रू0 141.80 लाख एवं वन विभाग हेतु रू0 95.34 लाख सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्यकराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत/व्यय अनुमन्य की जायेगी।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।

(17) प्रशासकीय विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(18) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौडाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा- पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(19) लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(21) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(22) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(24) अवर सचिव, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0- CE-RO/LKO/UP/CRIF/ 2022-23(Comp.No.-220514), दिनांक 22.09.2025 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(25) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(26) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,92,00,000 (रूपये अट्ठाइस करोड़ बानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000470 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-398-X-2025-26, दिनांक 21.10.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

संख्या-155/2025//001-1161(1)-23-12-2025-1951353 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, संतकबीरनगर।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, संतकबीरनगर।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु0-2
11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in